

दिल्ली विकासप्राधिकरण

(वित्त एवं व्यय)

वित्त एवं व्यय परिपत्र संख्या 20/2016

शुद्धिपत्र वित्त एवं व्यय परिपत्र संख्या 18/2016

वित्त एवं व्यय परिपत्र संख्या 18/2016, दिनांक 22.8.2016 के द्वारा विभिन्न अधिकारियों को आकस्मिक व्यय (क्रम संख्या 4) के सम्बन्ध में वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई है। आकस्मिक व्यय (क) आवर्ती (ख) गैर आवर्ती और (ग) आकस्मिक व्यय को मद कॉलम में दर्शाया गया है। दिनांक 6.9.2016 के उपाध्यक्ष के अनुमोदन से विभिन्न अधिकारियों को आकस्मिक व्यय के सम्बन्ध में प्रदत्त शक्तियों को निम्न रूप में पढ़ा जाए।

क्रम संख्या	मद	प्रत्यायोजित शक्तियां	वित्तीय सीमा [आवर्ती एवं गैर आवर्ती के संबंध में]
4	आकस्मिक व्यय [आवर्ती एवं गैर आवर्ती]	उपाध्यक्ष वित्त सदस्य अभियंता सदस्य मुख्य सतर्कता अधिकारी/ प्रधान आयुक्त/ (भूमि प्रबंध)/ प्रधान आयुक्त (भूमि निपटान)/ आयुक्त एवं सचिव/ मुख्य लेखा अधिकारी/ मुख्य विधि सलाहकार	पूर्ण शक्तियां पूर्ण शक्तियां पूर्ण शक्तियां 50,000/-रु., पांच लाख रु. की वार्षिक सीमा की शर्त सहित। टिप्पणी : वरिष्ठ लेखा अधिकारी (आकस्मिक व्यय) प्रत्येक प्राधिकारी की अनुमोदित वार्षिक सीमापर निगरानी रखने हेतु रजिस्टर भी रखें।

वित्त एवं व्यय परिपत्र संख्या 18/2016 की अन्य निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। यह उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(सन्तोष कुमार)  
मुख्य लेखा अधिकारी

सं०. एफ.इ.16(35)2015/डीडीए/पार्ट-III/529

दिनांक: 09.09.2016

प्रतिलिपि प्रेषित:

- उपाध्यक्ष/वित्त सदस्य/अभियंता सदस्य के सूचनार्थ।
- मुख्य सतर्कता अधिकारी/प्रधान आयुक्त (भूमि निपटान/भूमि प्रबंधन)

.....2/-

3. आयुक्त (भूमि निपटान)/आयुक्त (भूमि प्रबंधन)
4. आयुक्त एवं सचिव/मुख्य विधि सलाहकार
5. निदेशक (भूमि प्रबंधन)/निदेशक (नजारत)/वित्तीय सलाहकार (आवास)/निदेशक (भूमि लागत निर्धारण)
6. उप मुख्य लेखा अधिकारी (मुख्यालय)-I/उप मुख्य लेखा अधिकारी (बजट)/उप मुख्य लेखा अधिकारी (लेखा)
7. वरिष्ठ लेखा अधिकारी (आकस्मिक व्यय)
8. गार्ड मिसिल ।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी  
(वित्त एवं व्यय)